अपीलीय सिविल

आर. एस. नरूला और बाल राज तुली जेजे. के समक्ष

मेसर्स खादी आश्रम, पानीपत, अपीलकर्ता।

बनाम

मैसर्स खादी आश्रम आदि के कर्मकार- उत्तरदाता।

1973 का एलपीए नंबर 636।

2 अप्रैल, 1974।

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV) - धारा 2 (ए) (i) और 2 (a) (ii) - खादी और ग्रामोद्योग आयोग *अधिनियम (1956* का LXI) - धारा 4 - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (*I860* का XXI*)* - धारा *20 - खादी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त पंजीकृत सोसायटी द्वारा चलाया जाने वाला उद्योग - श्रमिकों और सोसायटी के प्रबंधन के बीच विवाद - ऐसे विवाद के संबंध में "उपयुक्त सरकार"। - चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार।*

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(क) में यह प्रावधान नहीं है कि किसी संस्थान या कानूनी व्यक्ति द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत किए गए किसी उद्योग से संबंधित किसी भी औद्योगिक विवाद के संबंध में उपयुक्त सरकार, जो कानूनी व्यक्ति केंद्र सरकार के अधिकार के तहत काम कर रहा है, केंद्र सरकार होगी। जब किसी सोसायटी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत खादी संस्था के रूप में मान्यता दी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोसायटी द्वारा किया जाने वाला उद्योग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान यह नहीं दर्शाता है कि केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार से सोसायटी के व्यवसाय या कार्यकरण को नियंत्रित कर सकती है और न ही सोसायटी को कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार से किसी प्राधिकार की आवश्यकता है। निगम और पंजीकृत समितियां स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं हैं और अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए उद्योगों को चलाती हैं। यहां तक कि जब केन्द्र सरकार ऐसे निगमों को नियंत्रित करती है, तब भी उनके उद्योग अपने स्वयं के संविधान ोां या चार्टरों के अधिकार के तहत काम करते हैं और भले ही केंद्र सरकार किसी निगम के पूरे शेयरों का मालिक हो, ऐसे निगम के संबंध में उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार नहीं हो सकती है। इसके अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ए) में "प्राधिकरण" शब्द इसे इसके सामान्य अर्थ के अनुसार लागू किया जाना चाहिए और इसलिए, इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को अधिनियम करने के लिए दी गई

कानूनी शक्ति होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अधिकृत कहा जाता है या उसके पास एक प्राधिकारी होता है जब वह ऐसी स्थिति में होता है कि वह दायित्व के बिना इस तरह से कार्य कर सकता है, जिसके लिए वह प्राधिकरण के लिए उजागर होगा, या, ताकि उसी प्रभाव का उत्पादन किया जा सके जैसे कि प्राधिकरण देने वाले व्यक्ति ने स्वयं के लिए कार्य किया था। मान्यता प्राप्त खादी संस्थान किसी भी अनुबंध में या किसी भी दायित्व को उठाने के मामले में केंद्र सरकार को प्रतिबद्ध करने की कानूनी स्थिति में नहीं है। इसलिए जहां कोई सोसाइटी पंजीकृत है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाण पत्र के अनुदान पर कार्य कर रही है, यह केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत नहीं चलाई जा रही है। सोसाइटी और उसके कर्मकारों से संबंधित किसी भी औद्योगिक विवाद के संबंध में "उपयुक्त सरकार" धारा 2 (ए) (आई) के अर्थ के भीतर केंद्र सरकार नहीं है, बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ए) (ii) में निर्दिष्ट राज्य सरकार है।

माननीय न्यायमूर्ति एमआर शर्मा के दिनांक 13 अगस्त, 1973 *के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत लेटर्स पेटेंट अपील पारित की गई। सिविल रिट सं.* 1972 का 3066.

अपीलकर्ताओं की ओर *से वकील जी. सी. मित्तल और पी. सी. जैन ने पक्ष रखा।*

एस. एम. अशरी, वकील, *प्रतिवादी संख्या 10 के लिए।* 1.

अन्य उत्तरदाताओं के लिए *नेमो।*

निर्णय

न्यायालय का आदेश निम्नलिखित द्वारा दिया गया था :-

नरूला, जे -इन दो अपीलों में कानून का जो सामान्य प्रश्न उठा है वह यह है कि क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) (इसके बाद 1947 का अधिनियम कहा जाता है) की धारा 2 (ए) के अर्थ के भीतर "उपयुक्त सरकार" है। जीटी रोड, पानीपत, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (इसके बाद 1856 अधिनियम कहा जाता है) की धारा 4 के तहत स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित) द्वारा खादी संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

(2) तीन अलग-अलग संदर्भ। (1971 के 1971 के 195 9, और 1972 के 19 एन) बनाए गए थे! अपीलकर्ता के कुछ कर्मकारों के विभिन्न दावों के संबंध में हरियाणा राज्य द्वारा औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को सूचित किया गया। सभी तीन संदर्भों में अपीलकर्ता की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि संदर्भ अमान्य था। अपीलकर्ता की स्थापना के मामले में उचित सरकार के रूप में क्षेत्राधिकार की आवश्यकता केंद्र सरकार थी, न कि राज्य सरकार। 21 जुलाई, 1972 के अपने आदेश में श्री ओ. पी. शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा ने उस आपत्ति से सहमति व्यक्त की और कहा कि विचाराधीन विवादों को निर्णय के लिए भेजने के लिए उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है, न कि राज्य सरकार क्योंकि अपीलकर्ता का कार्य केंद्र सरकार के अधिकार के तहत किया जाता है। जहां तक अपीलकर्ता उद्योग आयोग के अधिकार के तहत जारी प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य करता है, समय-समय पर किस प्राधिकरण की समीक्षा की जाती है और किस प्राधिकरण के बिना अपीलकर्ता उद्योग कानूनी रूप से कार्य नहीं कर सकता है। यह देखा गया कि आयोग पूरी तरह से अपने गठन और कामकाज के मामले में, और अपने संविधान और उद्देश्यों की उपलब्धि के मामले में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है, और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता एक ऐसे उद्योग में लगा हुआ है जो सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के अधिकार के तहत चल रहा है, और ऐसा होने पर, अधिनियम की धारा 2(क) के अर्थान्तर्गत उपयुक्त सरकार केन्द्र सरकार है, न कि राज्य सरकार। जिन कर्मकारों के कहने पर राज्य सरकार को सूचित किया गया था, उन्होंने श्रम अधिकरण के उक्त आशय के आदेश को निरस्त करने और औद्योगिक अधिकरण के

पीठासीन अधिकारी को गुण-दोष के आधार पर मामले पर कार्रवाई करने का निदेश देने के लिए 1972 की सिविल रिट 3066 दायर की थी।

(3) 1970 के संदर्भ सं. 193I > में, हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक स्थित श्रम न्यायालय में की गई इसी तरह की आपत्ति प्रबंधन (अपीलकर्ता) द्वारा उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री पी. एन. ठुकराल के समक्ष उठाई गई थी। 13 मई, 1971 के अपने आदेश द्वारा, श्री ठुकराल ने अपीलकर्ता की इस आशय की एक अतिरिक्त आपत्ति को निरस्त कर दिया कि विचाराधीन संदर्भ किस सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंधित था? *सच है,* और पार्टियों को निर्देश दिया कि वे वैधता के सवाल पर अपनी इच्छानुसार ऐसे सबूत पेश करें- 1973 के सिविल रिट 1018 दायर किया गया उस निर्णय के खिलाफ।

(4) उन दोनों याचिकाओं का निपटारा इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश (एम. आर. शर्मा, जे.) ने 13 अगस्त, 1973 को किया था। मेसर्स पंजाब खादी ग्राम उद्योग संघ,आदमपुर दोआबा, जिला जालंधर बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1), जिसमें उनके द्वारा यह माना गया था कि पंजाब में उक्त खा संस्थान, जो आयोग से इसी तरह के अधिकार के तहत काम कर रहा था, केंद्र सरकार का एक विभाग नहीं था। इसी कारण से 1973 के सिविल रिट 1018 को खारिज कर दिया गया था। 1973 का एलपीए 636, कर्मकारों की रिट याचिका को अनुमति देने वाले विद्वान न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर किया गया है, और 1973 का एलपीए 637, शर्मा, जे. के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोनों मामलों में अपीलकर्ता का तर्क यह है कि अपीलकर्ता संस्था के संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, और इसलिए, हरियाणा राज्य द्वारा किए गए दो संदर्भों में से प्रत्येक को अधिकार क्षेत्र के बाहर माना जाना चाहिए और रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(5) हमारे निर्णय के लिए आवश्यक सटीक प्रश्न विभिन्न श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के हाथों कम से कम पांच अलग-अलग मामलों में चर्चा का विषय रहा है। सबसे पहला निर्णय, जिस पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है, 3 अगस्त, 1967 को श्रम न्यायालय, जुलुंदूर के पीठासीन अधिकारी श्री मनोहर सिंह बख्शी का 1967 के संदर्भ संख्या 72 में मेसर्स पंजाब खादी ग्राम उद्योग संघ, आदमपुर दोआबा के कर्मकारों और प्रबंधन के बीच का निर्णय है। 1947 के अधिनियम और 1956 के अधिनियम के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के

बाद, विद्वान श्रम न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार थी क्योंकि :-

(1) विचाराधीन उद्योग न केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, बल्कि खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित आयोग द्वारा नियोजित, संगठित और नियंत्रित भी है;

(2) 1956 अधिनियम के तहत गठित प्रमाणन समिति ने संस्थान को भारत में ऐसे कई अन्य संस्थानों के बीच प्रमाणित किया था, और प्रमाणन समिति यह सुनिश्चित करती है कि संस्थान चल रहा है। समिति द्वारा निर्धारित नियमों के कड़ाई से अनुरूप है और आवधिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण करता है, और उस संस्था के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करता है, और उस संस्थान और अन्य छोटे निजी प्रबंधित उद्योगों के बीच संघर्ष और अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद करता है; और

(3) विचाराधीन औद्योगिक विवाद एक ऐसे उद्योग से संबंधित है जो केंद्र सरकार के अधिकार के तहत चलाया जा रहा था क्योंकि इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित किया गया था।

(6) इस मुद्दे पर अगला निर्णय पीठासीन अधिकारी श्री के एल गोसाईं ने दिया। औद्योगिक न्यायाधिकरण, हरियाणा, 22 जनवरी, 1968 को 1967 के संदर्भ संख्या 83 में, मेसर्स

उन्नी पट्टी केंद्र, पानीपत के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच। हरियाणा सरकार द्वारा उस मामले में भी दिए गए संदर्भ को विद्वान औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर अमान्य ठहराया गया था कि संबंधित उद्योग केंद्र सरकार के अधिकार के तहत चलाया जा रहा था, क्योंकि उद्योग को अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए अधिकृत करने वाला प्राधिकरण का पत्र आयोग द्वारा बॉम्बे से जारी किया गया था। और आयोग का गठन 1956 के अधिनियम की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा "माना जाता है" किया गया था, और 1956 के अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोग के कार्यों में से एक इस प्रकार के उद्योग को आयोग द्वारा अनुमोदित किसी भी स्थान पर किए जाने के लिए अधिकृत करना था।

(7) श्रम न्यायालय, रोहतक के पीठासीन अधिकारी श्री पी. एन. ठुकराल ने 3 नवंबर, 1971 के अपने फैसले में 1970 के संदर्भ संख्या 193 (और 1971 के 78) में खादी आश्रम, पानीपत के कामगारों और प्रबंधन के बीच एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, वही उद्योग जो इन दोनों अपीलों में हमारे समक्ष अपीलकर्ता है। बख्शी मनोहर सिंह और श्री के एल गोसाईं के पिछले निर्णयों को श्री ठुकराल के समक्ष रखा गया था और उन्होंने अपने आदेश में दोनों का उल्लेख किया था। हालांकि, श्री ठुकराल ने कहा कि खादी आश्रम सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत एक सोसायटी है, और हालांकि यह एयू एफ के तहत व्यवसाय करता है।आयोग के साथ आयोग की बराबरी नहीं की जा सकती सरकार यह नहीं कह सकती कि खादी आश्रम

केन्द्र सरकार के अधिकार के अधीन चलाया जा रहा है।

श्री ओ.पी.शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, के दिनांक 21 जुलाई, 1972 के निर्णय की सत्यता का प्रश्न, जो बख्शी मनोहर सिंह और श्री के एल गोसाईं द्वारा अपनाया गया था, 1973 के *एलपीए 636 में हमारे समक्ष* न्यायाधीन है।

(8) 1947 के अधिनियम की धारा 10(1)(ग) में यह प्रावधान है कि जहां उपयुक्त सरकार की राय है कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या पकड़ा गया है। वह किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा विवाद या विवाद से संबंधित या प्रासंगिक प्रतीत होने वाले किसी भी मामले को, यदि वह दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित है, निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को भेज सकता है। संदर्भ देने की शक्ति "उपयुक्त सरकार" को प्रदान की गई है। उस अभिव्यक्ति को 1947 के अधिनियम की धारा 2 (ए) में परिभाषित किया गया है: -

^(i) केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत किए गए किसी उद्योग से संबंधित किसी भी औद्योगिक विवाद के संबंध में या किसी रेलवे कंपनी द्वारा या किसी नियंत्रित उद्योग से संबंधित, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।---------- ----------"

(9) यह दोनों पक्षों का स्वीकार किया गया मामला है कि अपीलकर्ता के उद्योग को "केंद्र सरकार द्वारा" नहीं चलाया जा रहा है। एकमात्र समस्या जो हल की जानी बाकी है, वह यह है कि क्या उक्त उद्योग "केंद्र सरकार के अधिकार के

तहत" चल रहा है या नहीं। चूंकि दृश्य लेने के लिए निर्भरता है। उपर्युक्त प्रश्न पर प्रबंधन का पक्ष 1956 अधिनियम के विभिन्न उपबंधों पर रखा गया है, इस स्तर पर उस अधिनियम की संगत धाराओं पर ध्यान दिया जा सकता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। (धारा (1) की उप-धारा (2)। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना (ऐसी तारीख से जो केन्द्र सरकार, राजपत्र, वित्त में अधिसूचना द्वारा) एक ऐसे निकाय कॉरपोरेट के रूप में की गई है, जिसके पास सदा उत्तराधिकार है और संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की शक्ति है और जिसके पास अनुबंध करने और मुकदमा करने की शक्ति है। केंद्र सरकार द्वारा अपने सदस्यों, इसके अध्यक्ष और इसके उपाध्यक्ष को नियुक्त करने के अधिकार सहित आयोग के गठन को धारा 4 की उप-धाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदान किया गया है। के सचिव को नियुक्त करने का कर्तव्य आयोग के परामर्श से आयोग को धारा 5 द्वारा केन्द्र सरकार को सौंपा गया है। इसी प्रकार, धारा 6 में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार आयोग में एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगी। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन का प्रावधान धारा 10 द्वारा किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो केंद्र सरकार आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के उद्देश्य से उचित समझे। धारा 15 की उपधारा (1) में कहा गया है कि 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए आयोग का कार्य आम तौर पर खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, व्यवस्थित करना और

कार्यान्वित करना होगा। धारा 15 की उपधारा (2) आयोग को (उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना) ऐसे कदम उठाने के लिए अधिकृत करती है जो वह उचित समझे। *अन्य बातों के साथ-साथ,* खादी के उत्पादन या ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और व्यवस्थित करना; और खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिए प्रदान करना। धारा 16 में आयोग को अधिनियम के तहत अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे निर्देशों द्वारा बाध्य होने की अपेक्षा की गई है जो केंद्र सरकार उसे दे सकती है। किसी भी समझौते के तहत आयोग को देय धन उसी तरह से वसूल किया जाना चाहिए जैसे भूमि राजस्व का बकाया है। आयोग का बजट धारा 20 के तहत मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होता है। लेखाओं के रख-रखाव के लिए अपेक्षित शर्तों में लेखा परीक्षा करना, उसके खातों का वाषक विवरण, उसका तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा ऐसे रूप में तैयार करना शामिल है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। c°nsultation धारा 23 द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ प्रावधान किया गया है। धारा 24 के तहत आयोग को केंद्र सरकार को विभिन्न विवरणियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। t0 निश्चित प्रस्तुत करता है विवरण। धारा 26 केंद्र सरकार को 1956 के अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। धारा 27 आयोग को केंद्र की पूर्व मंजूरी के साथ नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है एसी और धारा 26 के तहत बनाए गए

नियमों के साथ असंगत नहीं है।

(10) उपर्युक्त प्रासंगिक प्रावधानों का अवलोकन 1956 के अधिनियम से पता चलता है कि आयोग अपने अस्तित्व के बावजूद संभवतः केंद्र सरकार के अधिकार के तहत कार्य कर रहा है एक अलग कानूनी इकाई, हालांकि यह केंद्र सरकार का विभाग नहीं है। तथापि, यह स्मरण रखना चाहिए कि 1947 के अधिनियम की धारा 2(क) में यह नहीं कहा गया है कि किसी संस्थान या विधिक व्यक्ति द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अंतर्गत किए गए किसी उद्योग से संबंधित किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में उपयुक्त सरकार, जो कानूनी व्यक्ति केन्द्र सरकार के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा है, केन्द्र सरकार होगी। जहां तक 1947 के अधिनियम की धारा 2(क) (i) के संगत भाग का संबंध है, केन्द्र सरकार केवल उन मामलों में उपयुक्त सरकार है जहां विवाद (i) केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं किए गए किसी उद्योग से संबंधित है या (ii) केन्द्र सरकार के अधिकार के अधीन चलाया गया कोई उद्योग। 1956 के अधिनियम में निहित कुछ भी यह नहीं दर्शाता है कि अपीलकर्ता-उद्योग केंद्र सरकार के अधिकार के तहत चल रहा है या कभी किया जा रहा है। अपीलकर्ता-उद्योग एक अलग अलग कानूनी इकाई है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, क्योंकि यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (संख्या 10) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। XXI), 1860। एक समाज को उस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है यदि यह साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं के प्रचार के लिए स्थापित किया गया है, या

उपयोगी ज्ञान के प्रसार, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए (धारा 20)। एक सोसायटी को आई 860 अधिनियम के तहत उसके एसोसिएशन के ज्ञापन (सोसाइटी के नाम, सोसाइटी के उद्देश्यों; और प्रबंधन के अपने पहले निकाय के नाम, पते और व्यवसायों का खुलासा करना) और उसकी एक प्रमाणित प्रति, सोसायटी रजिस्ट्रार के पास दायर की जाती है और अपेक्षित पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए एसोसिएशन के ज्ञापन के साथ सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रमाणित प्रति भी दायर की जानी चाहिए, 1860 अधिनियम की धारा 4 में हर साल एक बार रजिस्ट्रार को सोसाइटी के प्रबंधन निकाय की वार्षिक सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 1860 अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी से संबंधित संपत्ति-चल और अचल ट्रस्टियों में निहित नहीं है, लेकिन इसे सोसाइटी के शासी निकाय में निहित माना जाता है। (धारा 5)। धारा 6 में कहा गया है कि 1860 अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक सोसाइटी अपने अध्यक्ष, अध्यक्ष, या प्रमुख सचिव, या ट्रस्टियों आदि के नाम पर मुकदमा कर सकती है या मुकदमा दायर कर सकती है। धारा 12 4 अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी सोसाइटी के शासी निकाय को उन उद्देश्यों को बदलने, विस्तारित करने या कम करने के लिए अधिकृत करती है जिनके लिए इसका गठन किया गया है, या उस प्रावधान द्वारा निर्धारित तरीके से इसे पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी अन्य सोसाइटी के साथ मिलाने के लिए।

(11) 1860 अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों से पता चलेगा कि अपीलकर्ता-उद्योग जो एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है । उस अधिनियम के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी की तरह एक कानूनी व्यक्ति है। 1956 के अधिनियम में कोई भी प्रावधान यह नहीं दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से सोसायटी के व्यवसाय या कामकाज को नियंत्रित कर सकती है। न ही अपीलकर्ता-सोसायटी को कार्य करने के लिए केंद्र सरकार से किसी अधिकार की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ता द्वारा अपेक्षित आयोग का अधिकार या प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी या अधिकृत नहीं किया जाना है। इसलिए, मेरा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह कहना सही था कि अपीलकर्ता-सोसायटी केंद्र सरकार के अधिकार के तहत नहीं चलाई जा रही है और इसलिए केवल राज्य सरकार ही उचित सरकार है जो अपीलकर्ता के कामगारों और प्रबंधन के बीच किसी भी औद्योगिक विवाद को 1947 अधिनियम की धारा 10 (1) (सी) के तहत औद्योगिक न्यायालय में भेज सकती है। *अब्दुल रेहमान अब्दुल गफूर श्रीमती ई.पॉल, और अन्य (2) मामले में केके देसाई, जे. का फैसला* मामला भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उस मामले में यह माना गया था कि जो उद्योग कंपनी अधिनियम द्वारा अधिकृत अपने स्वयं के संविधानों द्वारा शासित वाणिज्यिक निगमों द्वारा अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, उन्हें "केंद्र सरकार के अधिकार के तहत" किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे निगम स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं हैं और अपने लिए उद्योग चलाते हैं। अपने स्वयं के उद्देश्य। यह भी देखा गया

कि जब केन्द्र सरकार ऐसे निगमों को नियंत्रित करती है, तब भी उनके उद्योग अपने स्वयं के संविधानों या चार्टरों के अधिकार के तहत काम करते हैं और भले ही केंद्र सरकार के पास किसी निगम के पूरे शेयर हों, ऐसे

(2)ए.आई.आर. 1963 बम. 267

निगम के प्रबंधन और कर्मकारों के बीच विवादों के संबंध में उपयुक्त सरकार 1947 अधिनियम की धारा 2 (ए) (आई) के अर्थ के भीतर केंद्र सरकार नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे आयोग के पूरे वित्त के बारे में अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क मुझे बिल्कुल प्रासंगिक नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता कई बार अपीलकर्ता के साथ सिक्के की तुलना कर रहा है और कभी-कभी आयोग के साथ केंद्र सरकार की तुलना कर रहा है। ये दोनों धारणाएं पूरी तरह से निराधार हैं। यहां तक कि अगर यह दिखाया जा सकता है कि अपीलकर्ता-उद्योग को आयोग द्वारा वित्तीय रूप से खिलाया जा रहा है, जो बदले में केंद्र सरकार से अपना सारा धन लेता है, तो यह अपने आप में यह नहीं दिखाएगा कि अपीलकर्ता-उद्योग केंद्र सरकार के अधिकार के तहत चलाया जा रहा है। *भारी इंजीनियरिंग में मजदूर संघ बनाम बिहार राज्य और अन्य (3)* यह माना गया था कि 1947 के अधिनियम की धारा 2 (ए) में "प्राधिकरण" शब्द को इसके सामान्य अर्थ के अनुसार माना जाना चाहिए और इसलिए, इसका अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कार्य करने के लिए दी गई कानूनी शक्ति होना

चाहिए। यह देखा गया कि किसी व्यक्ति को अधिकृत कहा जाता है या उसके पास एक प्राधिकारी होता है जब वह ऐसी स्थिति में होता है कि वह दायित्व के बिना इस तरह से कार्य कर सकता है, जिसके लिए वह प्राधिकरण के अलावा उजागर होगा, या, ताकि उसी प्रभाव का उत्पादन किया जा सके जैसे कि प्राधिकरण प्रदान करने वाले व्यक्ति ने

(3) ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 82

स्वयं के लिए कार्य किया था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय मुझे इस बात को अधिकारपूर्वक हल करने के लिए प्रतीत होता है कि अभिव्यक्ति प्राधिकरण का उपयोग 1947 के अधिनियम की धारा 2 (ए) (आई) में उपयुक्त सरकार की परिभाषा के संबंध में उस प्रकार के अधिकार को निरूपित करने के लिए किया गया है जो एक प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट में निहित है। यहां तक कि अपीलकर्ता के वकील भी यह तर्क नहीं दे सके कि अपीलकर्ता-उद्योग किसी भी अनुबंध में या किसी भी दायित्व को उठाने के मामले में केंद्र सरकार को प्रतिबद्ध करने की कानूनी स्थिति में है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता-सोसायटी केंद्र सरकार के अधिकार के तहत काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल कि क्या कोई निगम राज्य का एजेंट है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया था कि एक निगम को एजेंट के रूप में पहचानने वाले वैधानिक प्रावधान के अभाव में, एक वाणिज्यिक निगम अपनी ओर से कार्य करता है, भले ही यह

पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारी विभाग द्वारा नियंत्रित हो, आमतौर पर यह माना जाएगा कि वह राज्य का सेवक या एजेंट नहीं है। यह भी देखा गया कि यह तथ्य कि एक मंत्री किसी निगम के सदस्यों या निदेशकों की नियुक्ति करता है और मंत्री को सूचना मांगने, निर्देश देने का अधिकार है, जो निदेशकों के लिए बाध्यकारी हैं और निगम के व्यवसाय के संचालन पर पर्यवेक्षण करने के लिए निगम को सरकार का एजेंट नहीं बनाता है।

(12) इस मामले में औद्योगिक अधिकरण के समक्ष उनके द्वारा सिद्ध किए गए दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज भी हमें प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। यह खेद का विषय है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 21 जुलाई, 1972 के अपने आक्षेपित आदेश में उन दस्तावेजों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन दस्तावेजों में से सबसे पहला पत्र 28 मई, 1969 को सहायक श्रमायुक्त (सी), चंडीगढ़ की ओर से अपीलकर्ता कर्मकार के महासचिव (खादी कर्मचारी संघ के महासचिव, कस्तूर भवन, कृष्णपुरा, पानीपत) को उक्त श्रमिक संघ के मांगों के चार्टर के जवाब में भेजा गया पत्र है। वही अपीलकर्ता के कामगारों को उस पत्र में विशेष रूप से सूचित किया गया था कि उनके मामलों में उपयुक्त सरकार हरियाणा राज्य है और यदि कोई और संदर्भ है तो उस कार्यालय को दिया जाना चाहिए। पत्र के अंतिम वाक्य में, श्रमिकों को सूचित किया गया था कि वे मुख्य श्रम से संपर्क कर सकते हैं। आयुक्त, (ग) नई दिल्ली ने हरियाणा सरकार को उपयुक्त सरकार घोषित करने वाले पत्र की प्रति मांगी। समय के क्रम में अगला पत्र 17 नवम्बर, 1969 का है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार के अवर सचिव, हरियाणा सरकार के सचिव, श्रम विभाग के सचिव को पंजाब खादी ग्राम उद्योग संघ से संबंधित विवादों के संबंध में "उपयुक्त सरकार" विषय पर लिखा गया है। 1947

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आदमपुर और खादी आश्रम, पानीपत। पत्र में लिखा है:-

"मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि यह भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है कि श्रम न्यायालय, जुलुंदूर ने ग्राम उद्योग संघ आदमपुर के संबंध में अपने फैसले में और औद्योगिक न्यायाधिकरण, हरियाणा, चंडीगढ़ ने अपने फैसले में मेसर्स पंजाब खादी के बारे में 22 जनवरी, 1968 को जोड़ा है। आश्रम पानीपत ने माना है कि उक्त दोनों विवाद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को सलाह दी गई है कि ऐसे प्रतिष्ठानों से संबंधित किसी भी औद्योगिक विवाद के संबंध में उपयुक्त सरकार केन्द्र सरकार नहीं बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(क)(ii) के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित विधि मंत्रालय की सलाह को ध्यान में रखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार श्रम न्यायालय/अधिकरण के निर्णयों के बावजूद इन विवादों से निपटना जारी रखे और यदि आवश्यक हो तो वे उचित समय पर इस मामले को उच्च न्यायिक मंचों पर उठा सकते हैं।

अंतिम पत्र सीधे प्रासंगिक और जिसे श्रम न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, वह है प्रदर्शनी WW 1/2, अर्थात, 9 अप्रैल, 1970 का पत्र, अवर सचिव से।

भारत सरकार ने श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में खादी आश्रम, पानीपत के संबंध में विवादों के वास्तविक समाधान में उचित सरकार विषय पर खादी कर्मचारी संघ, कृष्णपुरा, पानीपत के महासचिव को संबोधित किया। उस पत्र में लिखा है:-

पीठ ने कहा, "मुझे आपके पत्र संख्या 12का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है। (ख) उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24 जनवरी, 1970 के केकेएस/70(2) और यह कहना कि आपके पत्र को इसके संलग्नकों सहित निपटान के लिए हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है, जो इस मामले में उपयुक्त सरकार हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इस मामले में भविष्य में होने वाले सभी पत्राचार हरियाणा सरकार को संबोधित किए जाएं।

मेरे विचार से केन्द्र सरकार को इस संबंध में सही सलाह दी गई थी।

(13) उपर्युक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, मेरा मत है कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई उपाय नहीं है कि खादी आश्रम, पानीपत, जो 186 अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है और जो 1956 अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने पर कार्य कर रहा है, यह केन्द्र सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन नहीं चलाया जा रहा है। ऐसा होने पर, उद्योग और उसके कर्मकारों से संबंधित किसी भी औद्योगिक विवाद के संबंध में "उपयुक्त सरकार" धारा 2 (ए) (आई) के अर्थ के भीतर केंद्र सरकार नहीं है, बल्कि राज्य सरकार को 1947 अधिनियम की धारा 2 (ए) (ii) में संदर्भित किया गया है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस मामले में लिए गए दृष्टिकोण से कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, इन दोनों अपीलों को विफल होना चाहिए और तदनुसार लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

के.एस.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी

अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा